भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2913

(जिसका उत्तर गुरुवार, 14 मार्च, 2013/23 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

निवेशकों की शिकायतें

2913. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

श्री अंजनकुमार एम. यादव :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेशकों की शिकायतों के निपटान के लिए सभी मामलों पर कार्रवाई की जाती है जो सरकार द्वारा कार्रवाई विचारित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या कार्रवाई करने में विलंब तथा सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का सही से अनुपालन नहीं किए जाने के कारण चूककर्ता कंपनियों की अवैध गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री सचिन पायलट)

(क) और (ख) : जी, हां। मंत्रालय व इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निवेशक शिकायतों की मॉनीटरिंग की जाती है। सभी प्राप्त शिकायतें संबंधित कंपनियों के साथ समाधान के लिए उठाई जाती हैं। यदि कोई कंपनी प्रावधानों के अनुसार शिकायत समाधान नहीं करती तो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। निवेशकों को संतुष्ट करने के लिए प्रत्येक कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में एक "निवेशक शिकायत समाधान मंच" का गठन किया गया है। इस मंच की बैठक हर महीने की जाती है जिसमें शिकायतकर्ता और संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधि निवेशक शिकायतों पर विचार-विमर्श करते हैं तथा उनका समाधान करते हैं।

(ग) तथा (घ) : मंत्रालय शिकायत प्राप्त होने पर दोषी कंपनियों के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करता है। फिलहाल बहुस्तरीय विपणन/पोंजी स्कीमों से संबंधित 87 कंपनियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई शुरू की गई है। इन 87 कंपनियों के विरूद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अंतर्गत निरीक्षण, धारा 235 के अंतर्गत जांच तथा धारा 234 के अंतर्गत पूछताछ का आदेश दिया गया है।

*****